18.7.22	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बहड़खो तहसील महवा की आराजी ख० नं० 108, 109 व 352 कुल किता 3 रकवा 1.30 हैक्टेयर सामलात। व मांगी की खातेदारी की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ..... बनाम ..... मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सामन्ता के हिस्सा में 1/2 भूमि दर्ज है। सामन्ता व इनकी पत्नि लरबती वृद्ध हो चुके है इनके सात लडकियां ही है। अप्रार्थी सं० 1 ने सात लडकियों में से 5 लडकियों को चल अचल सम्पत्ति का बोगस उत्तराधिकारी बना दिया है और आराजी को खुर्द बुर्द कर रहन, बय कर किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा कराने पर आतुर है। प्रार्थीगण दिनांक 07.07.2020 को बाजरा की फसल बोने व देखने गये तो अप्रार्थी द्वारा विरोध किया और कहने लगे कि जमीन को बेचकर दीगर व्यक्तियों का कब्जा करा देंगे। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्वनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं होगी। अप्रार्थी सं० 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं० 1 व 2 उपस्थित नहीं हुए। बाद तामिल एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। जवाब में अंकित किया कि अप्रार्थियों द्वारा कभी भी अप्रार्थी सं० 1 को बेदखल नहीं किया। मैं मेरी जमीन पर स्वयं काश्त करता हूं। हम किसी से इलाज हेतु उधार रुपया लेते है तो कोर्ट से स्टे लेकर रुकवाया जाता है। प्रार्थीगण की समस्त बातें मनगढंत है। अप्रार्थी भूमि मुतनाजा का

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं.
	खातेदार है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखा जाता है तो अप्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं होगी। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। आराजी पुश्तैनी है। एक पिता की सभी पुत्रियों का पारिवारिक मामला है जिसमें प्रार्थीगण का हित निहित है। पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों का हनन होगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.7.20 को जारी स्थगन को कन्फर्म (पुष्ठ) कर वाद पत्र के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थी सं०1 — प्रार्थीगण के हिस्सा तक स्थिति को यथावत बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा